प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 3 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 14 – 21 जनवरी 2019 मूल्य पांच रूपए

सुक्खु–वीरभद्र के चलते पार्टी की लोस तैयारीयां प्रभावित होने की आशंका

राठौर के लिये होगा यह सब परीक्षा की घड़ी

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कुलदीप राठौर की ताजपोशी के बाद सुक्खु वीरभद्र द्वन्द एक अलग ही अन्दाज में आ गया है क्योंकि इस ताजपोशी के बाद जहां वीरभद्र ने सुक्खु के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए भाषायी शालीनता की सारी हदें लांघ दी वहीं पर सुक्खु ने भी वीरभद्र पर हर चुनाव से पहले संगठन को ब्लैकमैल करने का ऐसा तीर छोड़ा है जिससे पूर्व मुख्यमन्त्री का सारा सियासी कुनबा इस कदर लहू लुहान हुआ है कि इसके जख्म देर तक रिसते रहेंगे। इस द्वन्द में पूरी पार्टी सुक्खु-वीरभद्र खेमों में बंटकर चौराहे पर आ खड़ी है। यह सही है कि वीरभद्र विधानसभा चुनावों से बहुत पहले सुक्खु को हटाने का मोर्चा खोल बैठे थे। इसमें वह वीरभद्र ब्रिगेड तक खड़ा करने पर आ गये थे। इसी का परिणाम था कि इस ब्रिगेड के अध्यक्ष बलदेव ठाकुर ने सुक्खु के खिलाफ मानहानि का मामला तक दायर कर दिया जो अभी तक लंबित है। लेकिन यह सबकुछ कर लेने के बाद भी जब वह सुक्खु को हटवाने में सफल नही हो पाये तो शान्त होकर बैठ भी गये। सुक्खु के साथ पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह मंच भी सांझा करना पड़ा।

लेकिन इसी बीच जब वीरभद्र का अभियान फेल हो गया तब इसका लाभ उठाते हुए आनन्द शर्मा ने अपनी चाल चल दी। यह तय है कि देर सवेर अब सुक्खु को हटना ही था क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत अरसा पहले ही खत्म हो चुका था। लोस चुनावों से पहले यह बदलाव होना ही था। इसको जानते हुए आनन्द शर्मा ने सुक्खु के बदलाव पर कुलदीप राठौर का नाम आगे कर दिया। इसके लिये आनन्द ने वीरभद्र, मुकेश अग्निहोत्री और आशा कुमारी जैसे सारे बड़े नेताओं का कुलदीप के लिये समर्थन भी जुटा लिया। इन सबके समर्थन के परिणाम से हाईकमान ने राठौर के नाम पर अपनी मोहर लगा दी। हाईकमान का फैसला जैसे ही सार्वजनिक हुआ तो उसके बाद वीरभद्र सिंह के तेवर फिर बदल गये। सुक्खु पर नये सिरे से हमला बोल दिया। वीरभद्र के हमले का जवाब सुक्खु के समर्थकों ने भी उसी तर्ज में दिया। सुक्खु के समर्थन में भी पार्टी विधायकों/ पूर्व विधायकों /पूर्व अध्यक्षों का एक बड़ा वर्ग खुलकर सामने आ गया है। कई जिलों में पदाधिकारियों ने वीरभद्र की टिप्पणीयों के विरोध में त्यागपत्र तक दे दिये हैं। वीरभद्र –सुक्खु के इस द्वन्द में पार्टी किस कदर दो हिस्सों में बंट गयी है इसका तमाशा तब सामने आ गया जब राठौर पार्टी कार्यालय पदभार संभालने पहुंचे। इस अवसर पर जब नारेबाजी हुई तो नौबत हाथापाई तक आ गयी और परिणामस्वरूप एक

कार्यकर्ता को आईजीएमसी में भर्ती करवाना पड़ा। राठौर के पदभार समारोह में ही जब नौबत यहां तक आ गयी है तो आगे चलकर यह हालात कहां तक पहुंचेगें इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। अभी लोकसभा चुनावों के लिये पार्टी को तैयार होना है और सरकार के खिलाफ आक्रामकता अपनानी है लेकिन जो वातावरण पहले ही दिन सामने आ गया है उसको देखते हुए राठौर के लिये चुनावों में परिणाम दे पाना बहुत आसान नही लग रहा है। क्योंकि वीरभद्र सिंह मण्डी से चुनाव लड़ने को लेकर जिस तरह से तीन-चार बार ब्यान बदल चुके हैं उसके बाद उनकी नीयत और नीति को लेकर कई सवाल उठने शुरू हो गये हैं।

वीरभद्र के इन बदले तेवरों से प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक हल्को में कयासों का दौर शुरू होना स्वभाविक है। प्रदेश के राजनीतिक पंडित जानते हैं कि जब 2012 में वीरभद्र मुख्यमन्त्री बने थे तब उनके पक्ष में केवल आधे ही विधायक थे। लेकिन फिर भी उन्हें मुख्यमन्त्री बना दिया गया था। परन्तु उसके बाद जब पार्टी में ''एक व्यक्ति एक पद'' के केन्द्र के सिद्धान्त पर अमल करने की बात आयी थी तब उन्होंने इसका खुला विरोध किया था। बल्कि काफी समय तक इस कारण से मन्त्रीमण्डल के विस्तार में गतिरोध भी खड़ा हो गया था। इसी गतिरोध का परिणाम था कि आगे चलकर निगमों /बोर्डो में दर्जनों के हिसाब से ताजपोशीयां हो गयी जो विपक्ष के लिये एक बड़ा मुद्दा बन गयी। बल्कि यहां तक हालात पहुंच गये कि सरकार को 'वृद्धाश्रम' तक की संज्ञा दी गयी। इस परिप्रेक्ष में यदि वीरभद्र के सारे राजनीतिक कार्यकाल का आंकलन किया जाये तो यह सभी मानेंगे कि उन्होंने हर समय दबाव की राजनीति की है और इस दबाव में वह कई बार असफल भी रहे हैं। उनके ऐसे राजनीतिक रिश्तों का सबसे बड़ा उदाहरण विजय सिंह मनकोटिया रहा है जिसने एक समय पूरा एक सप्ताह वीरभद्र से प्रतिदिन पांच-पांच प्रश्न पूछे थे। वीरभद्र के शासनकाल में अपनों की गलतीयों पर कैसे आंखे बन्द कर ली जाती थी इसका सबसे बड़ा प्रमाण 24 सितम्बर 2018 को उनके भाई राज कुमार राजेन्द्र सिंह के मामले में आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के रूप में सामने आ चुका है। इस फैसले पर जयराम सरकार कब, कैसे और कितना अमल करती है इसका पता आने वाले दिनो में लग जायेगा।

इस परिदृश्य में राजनीतिक दलों के संगठन और उनकी सरकारों का आंकलन किया जाये तो यह सामने आता है कि अधिकांश में सरकार बनने के बाद संगठन बहुत हद तक अर्थहीन होकर रह जाते हैं। सरकारें ही संगठन का पर्याय बन जाती है और कांग्रेस के संद्धर्भ में तो यह बहुत स्टीक बैठता है। इसलिये आज जब सुक्खु और वीरभद्र के द्वन्द का आंकलन किया जाये तो वीरभद्र और मुख्यमन्त्री अध्यक्ष पर भारी पड़ते रहे हैं बल्कि यह कहना ज्यादा संगत होगा कि कई बार सरकार के फैसलों की जनता में वकालत करना कठिन ही नही बल्कि असंभव हो जाता है। क्योंकि अधिकांश फैसले संगठन की राय के बिना ही ले लिये जाते हैं और जब जब सरकार और संगठन के बीच तालमेल गड़बड़ा जाता है तब तब निश्चित रूप से सरकारों की हानि होती है। सुक्खु और वीरभद्र के संद्धर्भ में भी यही हुआ है।

लेकिन इस समय राठौर के बनने के साथ ही वीरभद्र सिंह ने जिस तर्ज में हाईकमान को भी अपरोक्ष में कोसा है उससे कई सवाल खड़े हो गये हैं। राठौर विधायक नही हैं इस नाते वह विधायकों/मन्त्रीयों के बराबर नहीं आ पाते हैं। फिर जब संगठन की बागडोर किसी गैर विधायक को ही दी जानी थी तो क्या उसमें संगठन के वर्तमान पदाधिकारियों में से भी कोई नाम गणना में नही आना चाहिये था। इस समय संगठन में उपाध्यक्षों और महामन्त्रियों की एक लम्बी सूची है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हे हाईकमान ने विशेष रूप से नियुक्त किया है लेकिन इस समय वह गणना में नही आये। क्योंकि इस बार एक अकेले वीरभद्र सिंह ही नहीं बल्कि चार अन्य नेताओं का भी बदलाव के लिये दबाव रहा है। इस वस्तुस्थिति में यह पूरी संभावना बनी हुई है कि वीरभद्र –सुक्खु के इन तेवरों का अपरोक्ष में उन पदाधिकारियों के मनोबल पर भी प्रभाव पड़े जिन्हे गणना में नहीं लिया गया है। यह स्थिति नये अध्यक्ष के लिये एक बड़ी चुनौती होने जा रही है। इसमें कोई दो राय नही है।

सस्ते राशन में घटिया चावल सलाई होने पर अधूरी कारवाई क्यों?

शिमला/शैल। पिछले दिनो राजधानी शिमला के उपनगर टूटी कंडी के एक सरकार के सस्ते राशन की दुकान से एक उपभोक्ता को ऐसे गलेसड़े चावल दे दिये गये जिन्हें आदमी तो क्या पशु भी न खाते। उपभोक्ता ने जब चावल देखे तो इसकी शिकायत खाद्य एवम् आपूर्ति मन्त्री किशन कपूर तक कर दी। मन्त्री के पास जब यह शिकायत आयी तो उन्होंने तुरन्त अपने विभाग को खींचा और कारवाई करने के आदेश दिये। मन्त्री के आदेशों के बाद विभाग हरकत में आया और रात को ही डिपो मालिक के खिलाफ कारवाई अमल में लायी गयी। इस कारवाई पर डिपो मालिक ने अपनी गलती मानते हुए सुबह दस बजे ही उस उपभोक्ता को संपर्क किया और उससे यह चावल वापिस ले लिये। विभाग के अधिकारियों ने भी उपभोक्ता के साथ संपर्क किया और उसे इस कारवाई से अवगत करवाया। मन्त्री के के संज्ञान

लेने पर विभाग भी हरकत में आया और डिपो मालिक ने भी उपभोक्ता के घर से चावल वापिस ले लिये लेकिन इसके बाद आगे और क्या कारवाई हुई इसके बारे मे अभी तक कुछ भी सामने नही आया।

विभाग सस्ता राशन खाद्य एवम् आपूर्ति निगम के माध्यम से खरीदता है और इस खरीद के लिये एक प्रक्रिया तय है। सरकार विभाग के माध्यम से निगम को सस्ते राशन के तहत दी जाने वाली चीजों पर प्रतिवर्ष करीब छः हजार करोड़ का उपदान देता हैं। स्पष्ट है कि बड़ी मात्रा में यह सामान खरीदा जाता है। इस सामान की गुणवता और उसकी मात्रा सुनिश्चित करना उन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है जो इस खरीद की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। यह जिम्मेदारी सरकार के खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति सचिव से शुरू होकर निगम के एमडी और विभाग के निदेशक

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने 'द हार्टफुलनेस वे' पुस्तक का किया विमोचन

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में कमलेश डी. पटेल और उनके शिष्य जोशुआ पोलॉक की हृदय पर आधारित ध्यान 'द हार्टफुलनेस वे' पुस्तक के हिन्दी

रूपान्तरण का विमोचन किया। यह पुस्तक एक शिक्षक और शिष्य के बीच हुए ज्ञानवर्धक वार्तालाप की श्रृंखला हार्टफुलनेस अभ्यास के सिद्धांतों पर आधारित है। पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि व्यस्त जीवन के तनाव में हार्टफुलनेस का अभ्यास हमारी प्रतिक्रियाओं को सरल बनाकर दैनिक जीवन को एक समृद्ध और परिपूर्ण ढंग से जीने में मदद करता है। यह अभ्यास हमें अपनी चेतनाओं की गहराइयों में उतरने में मदद करता है। हृदय पर आधारित ध्यान के अभ्यास में हम अपने अस्तित्व के जिस सरलतम और शुद्धतम पहलू की खोज व अनुभव करते हैं वह है हमारी आत्मा। इस प्रकार, इस पुस्तक में दी गई हार्टफुलनेस के अभ्यास की विधियां हमारी आत्मा का पोषण करती हैं, जो पाठकों के लिए काफी लाभदायक है।

राज्यपाल के जन्मदिवस पर राजभवन कर्मियों ने धूम्रपान न करने की ली शपथ

शिमला/शैल। राजभवन के उन कर्मचारियों ने जो धूम्रपान के आदि हैं, ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत की प्रेरणा से धूम्रपान को छोड़ने की शपथ लेकर नई शुरुआत की है। मौका था, राज्यपाल के 60वें जन्मदिन का। जन्मदिन के इस मौके पर, राज्यपाल ने यज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर एवं अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्यपाल ने विशेष तौर पर राजभवन के कर्मियों को इस हवन आयोजन में उपस्थिति दर्ज करने का आग्रह किया था। राज्यपाल एवं उनकी धर्मपत्नी लेडी गवर्नर दर्शना देवी और परिवार के अन्य सदस्यों ने यज्ञ किया और पवित्र आहुति डाली। जन्मदिन के इस मौके पर यज्ञ का एक और उद्देश्य था कि राजभवन के जो कर्मचारी धूम्रपान के आदि हैं और इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें इस अवसर पर पवित्र अग्नि के समक्ष आजीवन धूम्रपान न करने की शपथ दिलाई जाए।

राज्यपाल का कहना था कि एक व्यक्ति के धूम्रपान करने से पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसका असर स्वास्थ्य के साथ साथ समाज पर भी पड़ता है। हालांकि, राजभवन में धूम्रपान पूरी तरह निषेध है। लेकिन, राज्यपाल को सूचना मिली कि कुछ कर्मचारी डयूटी के पश्चात घरों में या अन्य स्थानों पर धूम्रपान करते हैं। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों को धूम्रपान छोड़ने के लिये प्रेरित किया। ये कर्मचारी भी उत्साहित थे और उन्होंने स्वेच्छा से धूम्रपान न करने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी होगी कि इस बुराई को वह त्याग दें और उनके जन्मदिन के अवसर पर यज्ञ में आहुति डालकर शपथ लें।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि ये उनके जीवन में नई शुरुआत है और ऐसे ही प्रयासों से स्वस्थ समाज की परिकल्पना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी परिवार का हिस्सा है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास अपने सहयोगी को बुरी आदत से निजात दिलाने में सहयोग करें।

राज्यपाल करेंगे गणतन्त्र दिवस की अध्यक्षता

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत शिमला के रिज मैदान पर 26 जनवरी को राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में सम्मिलित होंगे। गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता मण्डी में, सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ऊना में, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर कुल्लू में, बहुद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा किन्नौर में, शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी चम्बा में, कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकण्डा सोलन में, विधानसभा के उपाध्यक्ष चम्बा में शहरी विकास मंत्री के साथ समारोह में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवाई योजना के अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क दी जा रही दवाइयां

शिमला/शैल। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवाई योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क दवाइयां एवं उपभोज्य वस्तुएं जैसे सूईयां पट्टियां इत्यादि प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में 330 नि:शुल्क दवाएं और उपभोज्य वस्तुएं नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं, जिनमें 310 दवाईयां व 20 उपभोज्य वस्तुएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल व सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों में 216 दवाइयां व उपभोज्य वस्तुएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 106 व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 43 दवाइयां व उपभोज्य वस्तुए प्रदान की जा रही हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने दी।

प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे कोई भी व्यक्ति टोल – फ्री नम्बर – 104 पर सुझाव या शिकायत दर्ज करवा सकता है। योजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सरकार के उपक्रम सी – डैक नोएडा द्वारा ई औषधि सॉफ्टवेयर सभी जिलों में चलाया जा रहा है।

सरकार द्वारा नि:शुल्क निदान योजना भी आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में 11 श्रेणियां जिनमें कैंसर, क्षय रोगी, एचआईवी/एड्स, गरीबी रेखा से नीचे के रोगी, मेडिको – लीगल मामले, 60 वर्ष से अधिक आयु के रोगी, सभी गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, महामारी के दौरान किए जा रहे परीक्षण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले परीक्षण व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले रोगियों के परीक्षण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी रोगियों के परीक्षण की सुविधा शामिल है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम 56 प्रकार के बुनियादी परीक्षण नि:शुल्क किए जाते हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा टीबी रोगियों के लिए पोषण योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। योजना के तहत वर्ष 2018 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बलगम माईक्रोस्कोपी के माध्यम से एक लाख से अधिक टीबी के सम्भावित लोगों की जांच करके सरकारी क्षेत्र में 16592 नए टीबी के मामले का निदान व उपचार किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि विभाग द्वारा अप्रैल माह में निक्षय पोषण योजना आरम्भ की है जिसके तहत टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार के लिए 500 रुपये प्रतिमाह सम्पूर्ण उपचार के दौरान सीधे उनके बैंक खाते में डाला जा रहा है। योजना के तहत अब तक 1,18,21500 रुपये टीबी रोगियों को दिए जा चुके हैं।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate/percentage rate tender on Form No. 6&8 are hereby invited by the **Executive Engineer, Arki Division, HP, PWD.** Arki on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the following works from the competent (In this regard the decision of the Executive Engineer shall be final) contractors enlisted with HP, PWD in appropriate class whose registration stood renewed as per revised instruction and also registered dealers under the Himachal Pradesh sales **Tax Act, 1968.** The application for tender form will be received on **18.2.2019 upto 4.00 P.M.** The tender form will be issued on **20.2.2019. upto 4.00 P.M.** The tender form will be received on **21.2.2019. up to 10.30 A.M.** and will be opened on the same day at **11.00 A.M.** in the presence of the contractors or their authorized representative who may like to be present. The form can be had from this office against cash payment as shown below (Non refundable) during the working hours on **18.2.2019** The earnest money should be deposited in the shape of National Saving certificate, Time deposit/Post Office saving bank account in any of the Post Office in H.P. duly pledged in the name of the Executive Engineer, Arki Division, HP, PWD. Arki and tender form will be issued only those contractors who will deposit the Earnest Money at the time of sale of tender. The conditional tenders shall not be entertained. If holiday is declared suddenly by the govt. on the above date due to some reason the tender shall be received and opened on the next working day. The intending contractors/firms will have to produce all required documents at the time of making application such as Income Tax clearance certificate for the proceeding year, registration/renewal of registration and sales tax number (Under H.P.G.S.T.) Act. Special care should be taken to write the rates both in figures and in words, failing which their tender will be rejected. No tender form shall be issued to the contractors/firms who have already two works in HP.PWD. The offer of the tender shall remain open for 120 days from the date of opening of the tender. The Executive Engineer reserves the right to accept or reject the tender without assigning any reason.

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Form	Cost of form	Time
1.	Construction of link road to village Giana Km. 0/0 to 0/675(SH:-C/o R/wall/B/ wall at RD 0/175 to 0/ 184,0/215 to 0/229,0/225 to 0/260,0/375 to 0/390, 0/ 500 to 0/505	4,14,018/	8300/-	6&8	350/-	3 Months

TERMS & CONDITIONS:-The tender documents shall be issued only to those contractors/firms who fulfill the following criteria:-
The latest renewal of enlistment/proof of valid registration and income tax clearance certificate/Permanent Account Number (PAN) must accompany the request for obtaining the tender documents.
2. The contractor should be registered under H.P. General Sale Tax Act.1968 and a proof there.of.must.accompany the request for obtaining the tender documents.
3. The applications for obtaining tender documents must be accompanied with earnest money in the shape of National Saving certificate/Time deposit account in any of the Post Office in H.P./F.D.R. from any Nationalized Bank duly pledged in favour of the Executive Engineer. Tender applications received without Earnest Money shall not be entertained and out rightly rejected and no tender form will be issued.
4. Ambiguous/telegraphic/Conditional tenders or tender by fax/E-mail shall not be entertained/considered and will summarily be rejected.
5. The Assistant Engineer, reserve the right to reject/cancel any or all the tenders without assigning any reasons.
6. The offer of the tender shall remain valid upto 120 days after the opening of tender.

Adv. No.4130/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Sealed items rate tender are hereby invited by the **Executive Engineer, Shimla Rural Division, H.P.P.W.D, Dhami,** on behalf of the Governor of Himachal Pradesh, on the prescribed form, from the eligible and experienced contractors/firms of appropriate class enlisted with Himachal Pradesh Public Works Department.

Sr. No.	Tender Schedule	Date
1.	The last date of receipt of application for tender form.	Upto 05-02-2019 at 4.00 PM
2.	The last date of issue of tender form	Upto 06-02-2019 at 4.00 PM
3.	The last date of receipt of tender.	Upto 07-02-2019 at 10.30 AM
4.	The date of opening of tender.	Upto 07-02-2019 at 11.00 AM

The tender form can be obtained against payment of Rs. 350/- (Rs Three hundred and fifty)only (non refundable) and contractor will be required to produce documents of registration in appropriate class , list of czompleted works and sale tax registration certificate . The tenders shall be opened in the presence of contractors or their representative.

The earnest money in the shape of National Saving Certificate / Time Deposit Accounts / FDR of Nationalized bank duly pledged in the favour of the Executive Engineer, Shimla Rural Division, H.P.P.W.D., Dhami , must accompany with the application form for the tender offer. The tender received without earnest money for each work in the prescribed mode and so also the conditional / telegraphic / ambiguous tender shall not be entertained and the Executive Engineer, reserves the right to reject the conditional / telegraphic / ambiguous tender without assigning any reason thereto. Also tender sent by Fax / e-mail shall not be entertained /considered and will summarily be rejected.

The request for issue of tender should be on the PRESCRIBED APPLICATION which can be obtained from the office of undersigned on the above mentioned date and time and tender will be issued only to those contractors who qualify the criteria , after the scrutiny of application form. **The request on prescribed application should accompany the registration of appropriate class, (attested copy be attached) GST, registration No , and work done certificate for similar nature of work and proof of registration under Employees Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952.**

The validity of tender have been given in the tender document. If any contractor / firm withdraw the offer within validity period then his earnest money shall be forfeited and shall finally be at the disposal of State Government. The contractor is advised to write the rates both in figures and in words, failing which the tender shall be rejected straight way.

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time	Cost of Form
1.	C/o National Law University at Ghandal (SH:-P/F SS railing in 2 Nos stair case of Block"A"	Rs.4,87,200/-	Rs.10,000/-	Two Months	350/-
2.	Annual Surfacing on Approach road to Rest house Sunni KM 0/ 00 TO 0/435.(SH:-Providing and Laying 25 mm thick Bituminous Concrete in bet. km 0/00 to 0/ 435 under the AMP 2019-2020.	Rs.3,72,581/-	Rs.7,500/-	One Months	350/-
3.	C/o National Law University at Ghandal (SH:-P/F 100% Black Version 400 micron sheet ffor water proofing on flase celling).	Rs.1,84,720/-	Rs.4,000/-	One Months	350/-

Adv. No.4137/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

वन उत्पादों के संग्रह के लिये 'वन समृद्धि जन समृद्धि' योजना से लोगों को किया जायेगा प्रशिक्षित: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा और वनों की आग रोकने के अतिरिक्त किसानों की फसलों को बंदरों से बचाने के लिए उचित कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह उनसे भेंट करने आये भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित करते हुए कही, जो उन्हें किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाने आए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने व उनकी आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए कई योजनाएं आरम्भ की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' आरम्भ की है, जिसके तहत किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सौर बाड़ लगाने पर किसानों के समूह को 80 प्रतिशत का उपदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 35 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि एक नई योजना 'वन समृद्धि जन समृद्धि' का उद्देश्य स्थानीय लोगों को विभिन्न वन उत्पादों के संग्रह प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उनकी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि 'सौर सिंचाई योजना' शुरू की गई है, जिसमें राज्य में सिंचाई के लिए पानी उठाने के लिए सौर पंप स्थापित करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में योजना के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में बंदरों को हिंसक जानवर (वर्मिन) घोषित किया है ताकि किसानों की फसलों को बंदरों से बचाया जा सके।

जय राम ठाकुर ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि उनके सभी जायज मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उनकी समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

किसान संघ की मांगों को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए, संघ के अध्यक्ष सोम देव शर्मा ने मुख्यमंत्री से किसानों को फसल और मिट्टी की स्थिति का कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार पुन: मानचित्रिकरण करने का आग्रह किया। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया।

प्रदेश कर्मीयों के लिये 7वें वेतन आयोग को शीघ्र लागू करें मुख्यमन्त्री:विनोद कुमार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर से एक स्वर में मांग की है कि प्रदेश के कर्मीयों को 1.1.2016 से संशोधित वेतनमानों को केन्द्र के तर्ज पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर शीघ्र लागू करने की घोषणा करें। महासंघ के संयोजक विनोद कुमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य है, जिसका अपना एक सिद्धांत, नीति और स्वरूप है, इसलिए आज के परिपेक्ष्य में किसी एक राज्य को नीतिगत फैसलों में दूसरे राज्य पर निर्भर नहीं रखा जा सकता। इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति या फिर राज्य की अपनी नीति और सिद्धांत का निर्माण तथा कार्यान्वयन होना चाहिए। महासंघ ने कहा है कि हर दस वर्ष के बाद देश के कुल उत्पादन और मूल्य सूचकांक पर निर्धारित तय मानदण्डों के आधार पर वेतनमानों के संशोधन के लिए 'राष्ट्रीय वेतन आयोग' का गठन किया जाता है जो एक संवैधानिक अथोरिटी मानी जाती है और आयोग पूरे देश के सभी राज्यों के कुल बजट, सकल घेरलु उत्पाद, राजस्व एवं हर राज्य के वित्तीय संसाधनों, जनसंख्या और वहां की भोगौलिक परिस्थितियों का आंकलन करने के बाद कर्मचारियों के वेतनमानों को संशोधित करने की सिफारिशें भारत सरकार को देता है और भारत सरकार आयोग की इस बारे सभी सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद इसे देश में लागू करने की राष्ट्रीय नीति के तहत् सैद्धांतिक मंजूरी सरकार देती है जिसे देश के अधिकतम राज्य केन्द्रीय वेतन आयोग का ही अनुसरण कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखण्ड, हरियाणा, जम्मू – कश्मीर, उत्तर – प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान इत्यादि प्रमुख हैं।

विनोद कुमार ने कहा है कि आज के परिपेक्ष्य में वेतन आयोग के मामले में हिमाचल को पंजाब पद्धति का इन्तजार करना प्रदेश के कर्मीयों को मंजूर नहीं है, क्योंकि इसमें अनावश्यक विलम्ब होने के कारण कर्मीयों को संशोधित वेतनमानों का समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण प्रदेश सरकार के खजाने पर भी अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ रहा होता है। वैसे भी हिमाचल सरकार 21 प्रतिशत अन्तरिम राहत संशोधित वेतनमानों के समय पर न मिलने के कारण मिलने वाले एरियर के हिस्से का एक भाग का भुगतान पहले ही कर रही है, इसलिए सरकार 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को शीघ्र लागू करें। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत ज्ञापन महासंघ द्वारा मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर को 6.11.2018 को सौंपा गया है, इसलिए प्रदेश के कर्मीयों के लिए यह जयराम ठाकुर की सरकार का ऐतिहासिक फैसला होगा।

हिमाचल में कुष्ठ रोग उन्मूलन की कगार पर: धीमान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग उन्मूलन के कगार पर है, क्योंकि प्रति 10,000 की आबादी पर प्रदेश में कुष्ठ रोग की प्रचलन दर एक मामले से भी कम है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में इस रोग की दर निम्न है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने कुष्ठ रोग पहचान अभियान पर राज्य समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग का पूरी तरह से उपचार सम्भव है तथा यह क्षय रोग/हैपीटाईटस की तरह संक्रमण रोग नही है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर स्पर्श – कुष्ठ जागरूकता अभियान आरम्भ किया जाएगा, जिसका समापन उनकी 150वीं जयंती पर 2 अक्तूबर, 2019 को होगा।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान राज्य के चयनित जिलो कांगड़ा, किन्नौर और मण्डी में कुष्ठ रोग से सम्बन्धित मामलों की पहचान की जाएगी, जबकि बिलासपुर, चम्बा और शिमला में केन्द्रित कुष्ठ अभियान शुरू किया जाएगा, जहां 2016 – 17 के दौरान श्रेणी – 2 के मामले पाए गए थे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 – 18 के दौरान राज्य में कुष्ठ रोग की प्रचलित दर राष्ट्रीय औसत 0.66 की तुलना में 0.19 थी इसी प्रकार राज्य में नए मामलों का पता लगाने की वार्षिक दर 1.76 थी, जो राष्ट्रीय संकेतकों 1.02 से बहुत अधिक थी। उन्होंने कहा कि राज्य में कुष्ठ रोग के बारे में बहुत अधिक जागरूकता है, क्योंकि राज्य में सूचना, शिक्षा और संचार (आईइसी)गतिविधियों के बढ़ते स्तर और शुरूआती जांच व उपचार की सुविधाएं उपलब्ध है।

अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक मनमोहन शर्मा ने कहा कि राज्य में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा हाउस होल्ड सर्वेक्षण तथा नए मामलों की पहचान का काम स्वास्थ्य कार्यकताओं द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य जागरूकता पैदा करने के लिए आईईसी गतिविधियां रोग की प्रारम्भिक गतिविधियां, शीघ्र उपचार और कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों से जुड़े कलंक को कम करने पर होगा। कठिन क्षेत्रों में पाए गए संदिग्ध मामलों को जिला अस्पतालों में भेजा जाएगा, जिससे इन मामलों की पुष्टि हो सके।

स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. आर.के. बारिया ने कहा कि जागरूकता अभियान के दौरान यह परिकल्पना की गई थी कि राज्य के सभी ग्रामों/वार्डो एवं शहरी वार्डो में सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 2 अक्तूबर तक वार्षिक श्रेणी – 2 के मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति मीलियन जनसंख्या में मामलों की दर को एक से कम लाना है।

सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शीघ्र होगा लागू :मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को अक्षरश: लागू करेगी।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में संसद में आर्थिक रूप से पिछड़े नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के परिवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने से सम्बन्धित विधेयक पारित किया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इनसे उन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से केन्द्र और राज्य सरकार के 'सबका साथ – सबका विकास' के मंत्र को बल मिला है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार प्रत्येक जाति और समुदाय के गरीब और पात्र व्यक्तियों को अवसर सुनिश्चित कर रही है, जिससे कि वह अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सके।

वृक्ष प्रजातियों की अधिशुल्क दरों का हुआ निर्धारण:गोविंद सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। वन एवं पर्यावरण मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मूल्य निर्धारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य में पाई जाने वाली विभिन्न वृक्ष प्रजातियों की अधिशुल्क दरों का निर्धारण किया गया।

शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा – क्वार की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत देवदार, कायल तथा चीड़ की रायल्टी दरें सामान्य दरों से क्रमश: 24 प्रतिशत, 28 प्रतिशत तथा 31 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं। हालांकि समिति ने मार्च 2017 के दौरान दूर – दराज तथा विशेष पर्वतीय ट्रैक में चिन्हित लॉट की रायल्टी दरों को कम करके देवदार सहित सभी प्रजातियों के लिए 40 प्रतिशत दरें निर्धारित की थी। अब दूर – दराज तथा विशेष पर्वतीय ट्रैक में सभी प्रजातियों के लिए चिन्हित लॉट मूल दरों का सामान्य क्षेत्रों के लिए भी एक समान 40 प्रतिशत निश्चित किया गया है।

वनमंत्री ने हि.प्र. राज्य वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को अन्य विभिन्न प्रजातियों की दरों के निर्धारण के लिए विस्तृत एजेण्डा आगामी बैठक में प्रस्तुत करने को कहा।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"NOTICE INVITING TENDERS"

Sealed item rate tender are hereby invited by the **Executive Engineer, Ghumarwin Division, HP-PWD.** Ghumarwin for the following works from the registered contractors of appropriate class enlisted in HP-PWD, whose registrations stood renewed as per revised instructions and also registered dealers under the Himachal Pradesh, General Sales Tax **Act. 1968.** The important date of tender are as under:-

Date of application 15/02/2019
Date of sale of tender. 16 /02/2019

The tender shall be received up to **11:00A.M. on 18/02/2019** and will be opened on the same day at **11:30 A.M** in the presence of intending contractors or their authorized representative who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment as shown below (Non-refundable) during the working hours on **16/02/2019.**

The Earnest money in the shape of National Saving Certificate/ Deposit at call/Time Deposit /Account/ in any of the Post-Office /Nationalized Bank in H.P. duly pledged in favour of **Executive Engineer, Ghumarwin Division, HP-PWD,** Ghumarwin must accompany with each application. Conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for **120 days.** The XEN reserve the right to accept or reject the tenders without assigning any reason.

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of form	Time limit
1.	C/o missing C/D on Bara-Da-Ghat Saloun to Bum road (SH:- C/o 1.00 mtr RCC Slab Culvart at RD 5/510.)	Rs.2,36,126/-	4800/-	350/-	Three Month
2.	C/o link road H/Basti Johri in GP Dangar Km 0/0 to 0/800 from NH-88 (SH:- Tarring in Km 0/0 to 0/400.)	Rs.2,80,538/-	5700/-	350/-	Two Month
3.	C/o circule road in Jhandutta (Sh:- Re-grading of road between Km 0/345 to 0/480 and U -Shape drain between Km 0/300 to 0/480.)	Rs.110042/-	2300/-	350/-	Two Month

TERMS & CONDITIONS:-
1. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
2. The contractors should have executed two similar type of works 1/3 of each amount put to tender or single work of amount equal to the amount put to tender within last five years.
3. The list of similar type of work executed & work done performance certificate issued by the concerned Executive Engineer/GST/EPF No. should be accompanied with application.
4. Earnest money should be accompanied with application. Application without earnest money will not be entertained.

Adv. No.4110/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

यदि आप ईश्वर को अपने भीतर और दूसरे जीवो में नहीं देख सकते, तो आप ईश्वर को कहीं नहीं पा सकते .....

स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या बेदी कमेटी की रिपोर्ट के परिदृश्य में गुजरात दंगा पीड़ितों को न्याय मिलेगा

गुजरात में 2002 से 2006 के बीच जो कुछ हिंसक घटा है उसमें कितने लोगों की जान और माल की हानि हुई है इसका पूरा आंकलन शायद आज भी उपलब्ध नही है। लेकिन हिंसा को प्रोत्साहित और प्रायोजित करने के आरोप शासन /प्रशासन पर भी लगे हैं। कई राजनीतिक नेताओं पर सीधे आरोप लगे और यह आरोप आज तक पीछा नही छोड़ रहे हैं। राजनीतिक नेतृत्व इन घटनाओं के लिये इस कारण से निशाने पर आ गया था क्योंकि उस समय देश के प्रधानमन्त्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने इन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया में यह कहा था कि यहां पर राजधर्म का पालन नही किया गया। अब जब पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय देते हुए सज्जन कुमार जैसे बड़े नेता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है तब से एक बार फिर यह आस बंधी है कि शायद गुजरात के पीड़ितों को भी न्याय मिल पायेगा। देश ने सज्जन कुमार को सज़ा मिलने का स्वागत किया है लेकिन उसी अनुपात में जब गुजरात में एक मन्त्री को मिली ऐसी ही सज़ा के बाद उसे निर्दोष करार देकर छोड़ देने पर अफसोस भी जाहिर किया है।

गुजरात में जो कुछ घटा है उसमें एक आरोप वहां पर फर्जी एनकाऊंटर दिखाये जाने का भी पुलिस प्रशासन पर लगा है। इन फर्जी मुठभेड़ों पर सर्वोच्च न्यायालय में 2007 में वीजी वर्गीज और जावेद अख्तर तथा शबनम हाशमी ने दो याचिकाएं दायर की थी। इनमें सत्रह मामले फर्जी एनकाऊंटर के आरोपों के उठाये गये थे। यह याचिकाएं 2007 में दायर हुई थी और इनके दायर होने के बाद गुजरात सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए इनकी जांच के लिये स्पैशल टास्क फोर्स का गठन किया था। इस एसटीएफ का मुखिया पुलिस अधिकारी ए. के. शर्मा को लगाया गया। लेकिन ए. के. शर्मा की नियुक्ति पर शबनम हाशमी ने कुछ एतराज उठाये। एतराज में ए.के. शर्मा और नरेन्द्र मोदी के बीच घनिष्ठ संबंध होने का भी गंभीर आरोप था। जब यह सबकुछ सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया तब शीर्ष अदालत ने इसकी मॉनिटरिंग के लिये एक कमेटी का गठन कर दिया। इसका चेयरमैन शीर्ष अदालत के ही पूर्व जज एम वी शाह को बनाया गया लेकिन जस्टिस शाह ने इस जिम्मेदारी को स्वीकारने में असमर्थता दिखाई। जस्टिस शाह के असमर्थता दिखाने के बाद गुजरात सरकार ने अपने ही स्तर पर इस कमेटी के अध्यक्ष पद पर मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश के आर ब्यास को नियुक्त कर दिया जबकि जस्टिस शाह की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी थी। जब जस्टिस ब्यास की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आयी तब शीर्ष अदालत ने यह जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय के ही पूर्व जज जस्टिस एचएस वेदी को सौंप दी।

जस्टिस शाह की नियुक्ति 25 जनवरी 2012 को हुई थी और उनके स्थान पर जस्टिस बेदी की नियुक्ति 12 मार्च 2012 को हुई। जब यह मॉनिटरिंग बनाई गयी थी तब इसकी नियुक्ति में यह कहा गया था कि वह इस नियुक्ति के तीन माह के भीतर पूर्ण या अन्तरिम रिपोर्ट सौंपेंगे। इस कमेटी के सामने जो सत्रह मामले आये थे उनकी जांच के लिये पूरी प्रक्रिया अपनाई गयी। इस तरह बेदी कमेटी की जो फाईनल रिपोर्ट तैयार हुई उसे सार्वजनिक नही किया गया। गुजरात सरकार इसके सार्वजनिक किये जाने का विरोध कर रही थी। यह विरोध इस हद तक गया कि जिन याचिकाओं के बाद एसटीएफ का गठन हुआ और उसकी मॉनिटरिंग के लिये शीर्ष अदालत को कमेटी बनानी पड़ी उन याचिकाकर्ताओं को भी इस कमेटी की रिपोर्ट नही दी गयी। यह रिपोर्ट न दिये जाने पर फिर सर्वोच्च न्यायालय में मामला आया और शीर्ष अदालत ने 18 दिसम्बर 2018 को यह याचिकाकर्ताओं को दिये जाने के आदेश किये। शीर्ष अदालत के इन आदेशों की अनुपालना में जस्टिस बेदी ने 20 दिसम्बर 2018 को यह 220 पन्नो की रिपोर्ट सौंपी है। जस्टिस बेदी की रिपोर्ट में इस कमेटी के सामने आये सत्रह मामलों में से तीन मामलों को पुलिस हिरासत में हुई मौत करार देते हुए इनमें गंभीर कारवाई किये जाने की संस्तुति की है। जब जस्टिस बेदी कमेटी इन मामलों को देख रही थी उसी दौरान इन दंगो को लेकर एक पत्रकार राणा अयूब ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। यह स्टिंग ऑपरेशन गुजरात फाईल्ज़ पुस्तक के रूप में सामने आ चुका है। इस ऑपरेशन में कई चौंकाने वाले खुलासे दर्ज है और इस स्टिंग ऑप्रेशन का जिक्र जस्टिस बेदी की रिपोर्ट में भी आया है। इस तरह जस्टिस बेदी की रिपोर्ट और राणा अयूब की गुजरात फाईल्ज़ के परिदृश्य में गुजरात दंगो को लेकर जो कुछ सामने आया है उसके परिदृश्य में इस पर नये सिरे से विचार किये जाने की आवश्यकता आ खड़ी होती है।

जस्टिस बेदी ने अपनी रिपोर्ट में इन मामलों को लेकर जो कुछ कहा है वह उन्ही के शब्दों में पाठकों के सामने रख रहा हूं ताकि इस पर आप अपने स्तर पर राय बना सके।

I have, therefore, taken a conscious decision that initially action will be sussested asainst only those police officers whose participation was admitted or prima facie proved leaving it open for others who are subsequently found to have been involved in conspiracy or in any other manner in regular court proceedings, to be arraigned later as per law. thease directions must be read into the three matters in which I have found prima facie evidence of custodial killings.

आरक्षण पर नहीं रोजगार पर अपना ध्यान केन्द्रित करे सरकार

गौतम चौधरी

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने सवर्ण यानी सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों, सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित करा दी। निःसंदेह इस विधेयक को पारित करा कर प्रधानमंत्री मोदी ने दुःसाहस का परिचय दिया है। इस विधेयक का क्या होगा इस पर संशय बरकरार है लेकिन सरकार ने अपनी ओर से यह संकेत दे दिया है कि वह सवर्णो के हितों के लिए भी चिंतित है।

हालांकि नरेन्द्र मोदी सरकर का यह निर्णय अप्रत्याशित नहीं है। इसकी उम्मीद पहले से थी। क्योंकि जिस प्राकर पूरे देश में मोदी सरकार के प्रति मध्यम एवं निम्न-मध्यम आय वर्ग के मतदाताओं का मोह भंग हो रहा है, उससे सरकार के रणनीतिकार बेहद बेचैन दिख रहे हैं। इसकी प्रतिछाया भी दिख गयी। मसलन तीन हिन्दी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गयी। भाजपा इसके कारण बेहद दबाव महसूस कर रही है। भाजपा और सरकार इस दबाव से उबरने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे, इसका एहसास पहले से था। इसलिए इस निर्णय को प्रत्याशित बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। इस अवसाद से उबरने के लिए मोदी सरकार इस प्रकार के कई निर्णय और ले सकती है। हांलाकि अब इस निर्णय के नफा-नुकसान पर भी चर्चा होने लगी है। जो सवर्ण इस निर्णय की घोषणा के साथ खुश दिख रहे थे, उनके चेहरे पर चमक धीरे-धीरे कम हो रही है। वे गंभीरता से विचार करने लगे हैं। वे सोचने लगे हैं कि आखिर इस 10 प्रतिशत आरक्षण से सचमुच उनका हित सध जाएगा?

प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार ने साढे 49 प्रतिशत आरक्षण में से कोई कटौती नहीं की है। अलग से 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को आरक्षण दिया है। एक तो यह आरक्षण का स्वरूप अभी से विवादों में घिर गया है। दूसरा सामान्य वर्ग के लोगों में यह भी सदेश जा रहा है कि इस वर्ग के अभ्यार्थियों को तो ऐसे ही 50 प्रतिशत का लाभ मिल रहा था उसमें से अब 10 प्रतिशत की कटौती हो जाएगी और उसका लाभ प्रतिभावान छात्रों को न मिलकर सामान्य दिमाग वालों को मिलेगा। दूसरी ओर जो प्रतिभावान छात्र गरीब हैं उनके लिए केवल 10 प्रतिशत का ही विकल्प बच जाएगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़ों की परिभाषा में भी झोल है। हालांकि विधेयक के पास होते ही मामला कोर्ट में चला गया है। वहां क्या होगा कहा नहीं जा सकता लेकिन आरक्षण नीति में कई प्रकार की विसंगतियां साफ दिखने लगी हैं।

कुल मिलाकर देखें तो सरकार का यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, जो साफ तौर पर चुनावी निर्णय दिख रहा है। इस मामले में सरकार की मंशा साफ होती तो केन्द्र सरकार, बिहार की नीतीश कुमार की सरकार की नीतियों पर अमल करती। आपको बता दें कि देश में पहला राज्य बिहार है, जिसने सवर्ण आयोग का गठन किया था। हालांकि उस आयोग की रिपोर्ट ठंढे बस्ते में डाल दी गयी लेकिन यह नीतीश कुमार की प्रगतिशील सोच का परिचार है। उस आयोग की रिपोर्ट में कई चौकाने वाले तथ्यों का जिक्र किया गया है। जनवरी 2011 में नीतीश सरकार ने हिन्दू और मुस्लिमों की सवर्ण जातियों के शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति के आकलन के लिए सवर्ण आयोग का गठन किया था। न्यायाधीश डी के त्रिवेदी को इसका अध्यक्ष, कृष्ण प्रसाद सिंह को उपाध्यक्ष और नरेंद्र प्रसाद सिंह, फरहत अब्बास एवं रिपुसुदन श्रीवास्तव को सदस्य बनाया गया था। आयोग ने बिहार के 38 में से 20 जिलों में ऊंची जातियों की शैक्षणिक व आर्थिक स्थितियों का सर्वेक्षण किया था। आयोग ने हिंदुओं में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ जातियों तथा मुसलमानों की शेख, सैयद और पठान के शैक्षणिक व आर्थिक हालातों का जायजा लिया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि सवर्णो के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं।

आयोग की अन्य सिफारिशों को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। 2011 में प्रदेश सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के बाद घोषणा की थी कि सालाना डेढ़ लाख रुपये से कम आमदनी वाले सवर्ण जाति के परिवारों के जो बच्चे प्रथम श्रेणी में दसवीं की परीक्षा पास करेंगे उन्हें दस हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कक्षा एक से लेकर 10वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा भी की गयी थी।

आयोग की रिपोर्ट ने साफ किया था कि अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हिन्दू व मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करनेवाली कुल आबादी की 25 फीसदी जनसंख्या रोजगार से वंचित और आर्थिक तंगी की चपेट में हैं। हिंदुओं में सबसे अधिक बेरोजगारी भूमिहारों में है। इस जाति के औसतन 11.8 फीसदी लोगों के पास रोजगार नहीं हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, सवर्ण जाति का 56.3 फीसदी हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर है। ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णो की 34 फीसदी जनसंख्या के पास कोई नियमित आमदनी का जरिया नहीं है, जबकि मुसलमान सवर्णो के 58 फीसदी लोग नियमित आमदनी से वंचित हैं।

ग्रामीण बिहार में गरीबी के कारण ऊंची जाति के 49 फीसदी हिंदू और 61 फीसदी मुस्लिम स्कूल व कॉलेज नहीं जा पाते। हिंदुओं में अगड़ी जातियों में हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा ग्रहण करने वाली ग्रामीण आबादी महज 36 फीसदी है, जबकि मुसलमानों में यह सिर्फ 15 फीसदी है। आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया था कि बिहार में चार सवर्ण जातियों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भूमिहारों में है। आपको बता दें यह ऐसी जाति है जिसे सामंती और भूमिपति जाति की संज्ञा दी जाती रही है। कमोबेस पूरे देश के सवर्ण जातियों की यही स्थिति है।

यदि नरेन्द्र मोदी सरकार सवर्णो के कल्याण के लिए सचमुच चिंतित होती तो उसे सर्व प्रथम पिछड़ी जाति आयोग की तरह सवर्ण आयोग का गठन करना चाहिए। इस आयोग को संवैधानिक मान्यता दिलाकर आयोग को नौवी सूची में डालना चाहिए था। यह आयोग पूर्ण रूप से काम करता और अपने ढंग से स्वतंत्र निर्णय लेता। साथ ही समय-समय पर सवर्णो के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों का जायजा लेकर केन्द्र सरकार को अवगत भी कराती। इसलिये इनका सवर्ण आरक्षण वाला फैसला पूरे तौर पर राजनीतिक फैसला दिख रहा है।

वैसे जिस प्राकर से देश में किसानों के हालात खराब हो रहे हैं वैसे में खेती से जुड़ी जातियां हासिए पर ढकेली जा रही है। इन जातियों में से जिन्हें आरक्षण के दायरे में ला दिया गया है वे जातियां थोड़ी ठीक स्थिति में है लेकिन जनके पास आरक्षण नहीं है उनकी स्थिति खराब होती जा रहा है। जैसे-जाट, गुजर, पटेल, पाटिल, मराठे, भूमिहार, त्यागी, राजपूत आदि जातियां खेती पर आधारित अपना जीवन यापन करती थी लेकिन अब खेती की स्थिति खराब हो गयी है। इसलिए अब उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इन जातियों को उबारने के लिए सरकार को खेती में व्यापक निवेश करने की जरूरत है लेकिन बड़े व्यापारियों के दबाव में सरकार खेती की लगातर उपेक्षा कर रही है। यह दो तरफा संकट पैदा कर रहा है। जिस प्रकार डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मनरेगा जैसी लोक कल्याणकारी योजना चलाकर मजदूरों को आर्थिक संवल प्रदान किया उसी प्रकार नरेन्द्र मोदी सरकार को किसानों के हितों के लिए व्यापक योजना बनानी चाहिए। आरक्षण कोई समाधान नहीं है।

हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वह भी हमें बेरोजगार बना रही है। हमारी सरकार को चाहिए कि वह मन से कृषि क्षेत्र पर ध्यान दे और बिना किसी राजनीति के लोगों में स्किल विकसित करने का प्रयास करे। इससे लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा।

कायदे से देखें तो सरकार में नौकरियां कम होती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि केवल केन्द्र सरकार के सभी विभाग को मिलाकर 40 लाख पद खाली हैं। उन पदों में से कुछ पर ठेके पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। उसी प्रकार विभिन्न राज्य सरकारों में भी बड़े पैमाने पर पद रिक्त हैं। सरकारी कंपनियों को औन-पौन दामों में बेचा जा रहा है। जो कंपनियां सरकार को कमा कर दे रही है उसके शेयर भी बेचे जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के पास प्रशासनिक नौकरियों के अलवा और कोई नौकरी बचने वाली नहीं है। आने वाले समय में सेना का भी आकार छोटा होगा और पारा अर्ध सैनिक बलों में भी रोजगार कम होते जाएंगे। इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था बेहद अतार्किक है। हालांकि पूर्ण रूप से आरक्षण हटाना वर्तमान राजनीतिक ढांचे में संभव नहीं है लेकिन आज या कल इसे हटाना ही पड़ेगा। दूसरी बात रोजगार के लिए यदि आरक्षण दिया जा रहा है तो यह बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। इसलिए इस मामले में सरकार को बिना किसी राजनीति के तसल्ली से रोजगार के मामले में व्यापक योजना बनानी चाहिए।

जब देश की नीतियां ही वोटर को लुभाने के लिये बनने लगे तो संभल जाईये ....

गरीब अगड़ो के लिये दस फिसदी आरक्षण के बाद देशभर में नीतियों के जरीये वोटरों को लुभाने के लिये तीन कदम उठाने की तैयारी बजट सत्र के वक्त मोदी सत्ता ने कर ली है। चूंकि अंतरिम बजट पेश होगा तो नीतियो को लेकर बड़ा खेल शुरू होगा। पहला निर्णय, तेलंगाना के केसीआर की तर्ज पर चार–चार हजार रुपये किसान मजदूरों को बांटने की दिशा में जायेगें क्योंकि मोदी सत्ता को लग चुका है कि जब रुपयों को पालिसी के तहत केसीआर बांट कर चुनाव जीत सकते हैं तो फिर वह सफल क्यो नहीं हो सकते। और इसी को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक से तीन लाख करोड़ रुपये निकाले जा रहे हैं। दूसरा निर्णय, कांग्रेस जब राज्य में बेरोजगारी भत्ता बांटने की बात कर बेरोजगार युवाओं को लुभा सकती है तो फिर देश में रोजगार ना होने के सिर पर फुटते ठिकरे के बीच समूचे देश में ही रोजगार भत्ते का एलान कर दिया जाये। तीसरा, पेंशन योजना के पुराने चेहरे को ही फिर से जिन्दा कर दिया जाये जिससे साठ बरस पार व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिल सके।

'पुण्य प्रसून बाजपेयी'

जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे–वैसे बिसात पर चली जा रही हर चालों से तस्वीर साफ होती जा रही है। मोदी सत्ता की हर पॉलिसी अब बिखरे या कहे रुठे वोटरो को साथ लेने के लिये है। तो विपक्ष अब उस गणित के आसरे वोटरो को सीधा संकेत दे रहा है जहां 2014 की गलती और 2018 तक मोदी की असफलता को महागठबंधन के धागे में पिरो दिया जाये। गरीब अगड़ो के लिये दस फिसदी आरक्षण के बाद देशभर में नीतियों के जरीये वोटरों को लुभाने के लिये तीन कदम उठाने की तैयारी बजट सत्र के वक्त मोदी सत्ता ने कर ली है। चूंकि अंतरिम बजट पेश होगा तो नीतियो को लेकर बड़ा खेल शुरू होगा। पहला निर्णय, तेलंगाना के केसीआर की तर्ज पर चार–चार हजार रुपये किसान मजदूरों को बांटने की दिशा में जायेगें क्योंकि मोदी सत्ता को लग चुका है कि जब रुपयों को पालिसी के तहत केसीआर बांट कर चुनाव जीत सकते हैं तो फिर वह सफल क्यो नहीं हो सकते। और इसी को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक से तीन लाख करोड़ रुपये निकाले जा रहे हैं। दूसरा निर्णय, कांग्रेस जब राज्य में बेरोजगारी भत्ता बांटने की बात कर बेरोजगार युवाओं को लुभा सकती है तो फिर देश में रोजगार ना होने के सिर पर फुटते ठिकरे के बीच समूचे देश में ही रोजगार भत्ते का एलान कर दिया जाये। तीसरा, पेंशन योजना के पुराने चेहरे को ही फिर से जिन्दा कर दिया जाये जिससे साठ बरस पार व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिल सके। ज़ाहिर है तीनो कदम उस राहत को उभारते हैं जो गवर्नेंस या कामकाज से नीतियो के आसरे देश को मिल ना सका। यानी इकनॉमी डगमगायी या फिर एलानो की फेरहिस्त ही देश में इतनी लंबी हो गई कि चुनावी महीनों के बीच से गुजरती सत्ता के पास सिवाय सुविधा की पोटली खोलने के अलावा कोई दूसरा आधार ही नहीं बचा। इस कड़ी में एक फैसला इनकम टैक्स में रियायत का भी हो सकता है। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी की थ्योरी तो इनकमटैक्स को ही खत्म करने की रही है। लेकिन मोदी सत्ता अभी इतनी बडी लकीर तो नहीं खिंचेगी लेकिन पांच लाख तक की आय पर टैक्स खत्म करने का एलान करने से परहेज भी नहीं करेगी। लेकिन इन एलानो के साथ जो सबसे बड़ा सवाल मोदी सत्ता को परेशान कर रहा है वो है कि एलानो का असर सत्ता बरकरार रखेगा या फिर जाती हुई सत्ता में सत्ता के लिये एलान की महत्ता सिर्फ एलान भर है क्योंकि साठ दिनों में इन एलानों को लागू कैसे किया जा सकता है ये असंभव है?

तो दूसरी तरफ विपक्ष की बिसात है जिसमें सबसे बडा दांव सपा–बसपा गठबंधन का चला जा चुका है। और इस दांव ने तीन संकेत साफ तौर पर मोदी सत्ता को दे दिये है। पहला, बीजेपी यूपी में चुनावी जीत का दांव पन्ना प्रमुख या बूथ मैनेजमेंट से खेलेगी या फिर टिकटों के वितरण से। दूसरा, टिकट वितरण सपा–बसपा गठबंधन के जातिय समीकरण को ध्यान में रखकर बांटेगी या फिर ओबीसी–अगडी जाति के अपने पारंपरिक वोटर को ध्यान में रख कर करेगी। तीसरा, जब 24 बरस पहले नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड गये जय श्री राम। तो 24 बरस बाद अखिलेश–मायावती के मिलने के बाद राम मंदिर के अलावा कौन सा मुद्दा है जो 2014 के मैन ऑफ द मैच रहे जो अमित शाह को महज दस सीट भी दिलवा दें। और इन्ही तीन संकेतों के आसरे हालातों को परखे तो मोदी–शाह की जोडी के सामने कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगाने को तैयार है। क्योंकि सपा–बसपा के उम्मीदवारों की फेरहिस्त जातिय समीकरण पर टिकेगी और उनके सामानातंर यूपी में अगर बीजेपी सिर्फ सवर्णो पर दाव खेलती है तो पहले से ही हार मान लेने वाली स्थिति होगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सवर्णो को टिकट देने की स्थिति में होगी। यानी बीजेपी का संकट ये है कि अगर दलित वोट बैक में जाये व मायावती के पास नहीं जाता है तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में वह बटेगा। इसी तरह ओबीसी का संकट ये है कि मोदी सत्ता के दौर में नोटबंदी और जीएसटी ने बीजेपी से मोहभंग कर दिया है। तो ओबीसी वोट भी बटेगा और ब्रहमण, राजपूत या बनिया तबके में बीजेपी को लेकर ये मैसेज लगाातर बढ रहा है कि वह सिर्फ जीत के लिये पारंपरिक वोट बैंक के तौर पर इनका इस्तेमाल करती है। और तीन तलाक के मुद्दे पर ही मुस्लिम वोट बैक में सेंध लगाने की जो सोच बीजेपी ने पैदा की है और उसे अपने अनुकुल हालात लग रहे है उसके समानांतर रोजगार या पेट की भूख का सवाल समूचे समाज के भीतर है। तो उसकी काट बीजेपी योगी आदित्यनाथ के जरीये भी पैदा कर नहीं पायी। बुनकर हो या पसंमादा समाज। हालात जब समूचे तबके के बुरे है और बीजेपी ने खुले एलान के साथ मोदी–शाह की उस राजनीति पर खामोशी बरती जो मुस्लिम को अपना वोट बैंक मानने से ही इंकार कर रही थी। यानी चाहे अनचाहे मोदी–शाह की राजनीतिक समझ ने क्षत्रपों के सामने सारे बैर भूलाकर खुद को मोदी सत्ता के खिलाफ एकजूट करने की सोच पैदा की। तो मुस्लिम–दलित –ओबीसी और सवर्णो में भी रणनीतिक तौर पर खुद को तैयार रहने के भी संकेत दे दिये। यानी 2019 की लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ते कदम देश को उन न्यूनतम हालातों की तरफ खिंच कर ले जा रहे हैं जहां चुनाव में जीत के लिये ही नीतियां बन रही है। चुनावी जीत के लिये आरक्षण और जातिय बंधनो में ही देश का विकास देखा जा रहा है। चुनावी जीत की जटिलताओं को ही जिन्दगी की जटिलताओं से जोड़ा जा रहा है। यानी जो सवाल 2014 में थे वह कहीं ज्यादा बिगडी अवस्था में 2019 में सामने आ खड़े हुये है।

युवाओं को रोजगार के लिए सक्षत बना रही हैं कौशल विकास योजनाएं

प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। वर्तमान में राज्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एशियन विकास बैंक के सहयोग से कौशल विकास योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना चलाई जा रही हैं। इन सभी योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के लगभग एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जाएगा।

कौशल विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 22 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य सौंपा गया है। 22 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। लगभग 2340 प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण पूरा किया गया, 341 प्रशिक्षुओं को रोजगार भी प्राप्त हुआ है।

कौशल विकास निगम के सहयोग से उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक (वोकेशनल) कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2017–18 में 824 तथा वर्ष 2018–19 सत्र में 1010 विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है।

कौशल विकास निगम द्वारा चयनित महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'ग्रेजुएट एड–ऑन' कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसमें इस सत्र में 750 विद्यार्थी शामिल हुए। 28 मार्च, 2018 को एशियन विकास बैंक के साथ 650 करोड़ रुपये की पांच वर्षीय कौशल विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस परियोजना के तहत 53 हजार से भी ज्यादा युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा, 50 आई.टी.आई. स्तरोन्नत की जाएगी, 6 शहरी आजीविका केन्द्र तथा 7 ग्रामीण आजीविका केन्द्र खोले जाएंगे। एशियन विकास बैंक के सहयोग से चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में 7 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

एशियन विकास बैंक की इस परियोजना के अंतर्गत निगम द्वारा आदर्श कैरियर केन्द्र, हमीरपुर, राजकीय महिला तकनीकी महाविद्यालय, कांगड़ा, शहरी आजीविका केन्द्र, शमशी, शहरी आजीविका केन्द्र, सुन्दरनगर तथा शहरी आजीविका केन्द्र, नाहन के निर्माण कार्य आरम्भ किए।

मंडी जिले में ग्रामीण आजीविका केन्द्र, सडियाना, शिमला जिला के ग्रामीण आजीविका केन्द्र, चौपाल तथा प्रगतिनगर के निर्माण कार्य भी आरम्भ किए गए।

77 करोड़ रुपये की लागत से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भी लागू की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 21.56 करोड़ रुपये की पहली किश्त प्राप्त हुई है। इससे लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार सम्बन्धी कौशल प्रदान किया जाएगा।

सभी रोजगार केन्द्रों को कौशल पहचान केन्द्रों तथा आदर्श कैरियर परामर्श केन्द्रों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। इससे युवाओं को परामर्श देने से रोजगार एवं प्लेसमेंट के अवसर बढ़ेंगे।

ग्रामीण महिलाओं को पंचायत स्तर पर संगठित करके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक कराना, उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे उन्हें अवगत करवाने तथा कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से नई सशक्त महिला योजना आरम्भ की गई है।

इन सभी कौशल विकास गतिविधियों से राज्य के युवाओं को रोजगार और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के अवसर मिलेंगे।

युग पुरूष स्वामी विवेकानंद जी

नगरोटा – सुदर्शन अवस्थी इन्दु
पत्रकार 9816512911

विश्व में कौन ऐसा होगा जो स्वामी विवेकानंद जी को न जानता हो। प्रतिवर्ष इनका जन्म दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आयोजित होता है। सभी भारतीय और विदेशी इस महापुरूष के क्रांतिकारी विचारों से अवगत हैं। अपने समय के युवा प्रेरणास्त्रोत और महानतम सन्यासी रहे। विचारों से समाजिकता और आत्म निर्भरता के भाव जागृत कर एक नई दिशा दी। वे कहते थे कि हर देश की युवा शक्ति राष्ट्र की प्रमुख शक्ति है। सभी की सोच उनके सदृश हो। हर देश उत्थान और विकास की ओर स्वंय चल पड़ेगा यही उन का मूल मंत्र रहा। आधे से अधिक युवा जनशक्ति वर्तमान एवं भूत में प्रत्येक देश में रही है। प्रत्येक को उन के विचारों का अध्ययन करना चाहिये। अपने आप आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। कई साहित्यकारों और आचार्य रजनीश ने लिखा है। स्वामी जी अपने समय के अथाह सागर रहे। उस में धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता, अर्न्तराष्ट्रीयता, वेद, उपनिशद, पुराण, विज्ञान सब रहे। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर के बाद धार्मिक और संस्कृति के अग्रदूत रहे। तत्काल समय की सभी वर्जनाओं, कुंठाओं के त्याग द्वारा विदेशियों को पराजित किया। अपने सम्बोधन में भाई एवं बहन कहा। भारत की सभी प्रकार की नीतियां उन से प्रभावित हैं। भक्ति भावना को जागृत किया।

स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकशा के विश्वनाथ और भुवनेश्वरी के घर हुआ। बचपन का नाम नरेन्द्र रहा। यह बचपन से मेधावी रहे और स्मरण शक्ति विलक्षण थी। देर तक अध्ययन में लीन और ईश्वर की खोज में चिंतित रहते। आरम्भ में भगवान की खोज में भटके। बाद में रामकृष्ण परम हंस से सर्म्पक हुया। ऐसा कथन है उन द्वारा मां काली से साक्षात करवाया फिर वे उन के प्रमुख शिष्य हुये और विवेकानंद नाम से विख्यात हुये। जीवन की एक प्रमुख घटना आचार्य रजनीश ने बताई। स्वामी जी गुरू से शापित होने के कारण समाधिस्थ नहीं हुये। एक अन्य शिष्य कालू राम का उपहास करते थे। इस पर गुरू जी ने कई बार समझाया। बाद में शाप का कारण बने अन्यथा परम हंस के सर्वप्रिय शिष्य रहे। पन्द्रह अगस्त सन 1886 को परम हंस जी ने समाधि ली। तत्पश्चात 23 वर्ष की आयु में आप बाहर निकले और चारों दिशाओं एवं हिमालय से कन्या कुमारी तक पैदल यात्रा की। वहीं तीनो सागरों के अथाह जल राशि के मध्य एक चट्टान पर भारत की दुर्दशा पर चिंतिन किया। वहां तैर कर गये। भारतीय संस्कृति और पताका अमेरिका तक फैराई। अपनी यात्राओं के मध्य जन कल्याण एवं जन हिताय योजनाओं को अमली जामा पहनाया। हिन्दु मुस्लिम व अन्य धर्मो का मान सम्मान करते थे। अंध विश्वासों से दूर रहे।

सितम्बर 1893 को अमेरिका के धर्म सम्मेलन में अपने ओजस्वी भाषण से चकित किया। कई अनुयायी वहां हुये। चार वर्ष तक वहां पर ही रहे। वापिस आने पर बहुत मान सम्मान मिला। राम कृष्ण मिशन की स्थापना की। आप के प्रवचन, भाषण आदि से विश्व समुदाय को बल मिलता है।आप का प्रमुख उद्घोष उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये उस समय तक रूको मत। यही मेरा मूल मंत्र और प्रेरणा है। सभी का ऐसा धर्म हो। जिस से मनुष्य बनें। अंत में चार जुलाई, 1902 को चिर समाधि में चले गये।

हमारे संत–फकीरों ने हमें दी है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत

रजनी राणा चौधरी

सच पूछिए तो वर्तमान भारतीय संस्कृति भारत में उत्पन्न मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन एवं ईरान में प्रचलित सूफीवाद का फ्यूजन है। हम जो भी आज सांस्कृतिक रूप से देख रहे हैं बस उसी दो धार्मिक चिंतनों के इर्द–गिर्द घूमता नजर आता है। हमारे देश की संस्कृति को कई संत–फकीरों ने प्रभावित किया है। संत तथा फकीर देश में मिश्रित सांस्कति व सांप्रदायिक सदभावना फैलाने में अहम भूमिका निभाई है।

संत, फकीर, सूफी इत्यादि अपनी शिक्षाओं द्वारा देश के हर नुक्कड़ और कोने में हमारी मिश्रित संस्कृति तथा सहअस्तित्व के समीकरण को कायम रखने व इसे विभिन्न धर्मो को मानने वालों के दरम्यान मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। इससे उनमें परस्पर प्रेम, सम्मान आत्मसात करने वाले संबंध तथा सर्व शक्तिमान के एकत्व की भावना को प्रसारित किया जा सके। मध्यकालीन भारत में ऐसे दो संतों का नाम आता है, जिन्होंने पूर्वोत्तर में भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का काम किया। दो नामबर व्यक्तित्व के स्वामी शंकर देव व अजान फकीर जी ने अपना पूरा जीवन असम में शांति व सांप्रदायिक सदभावना फैलाने में लगा दिया। इन दोनों ने ही बगैर धार्मिक भेद–भाव के ईश्वर तथा इंसान को जोड़ने पर जोड़ दिया। इसके लिए बलिदान तथा परस्पर निर्भरता की जरूरत पड़ती है। अब यह असमियों की संस्कृति व समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। प्रार्थना सभाओं के लिए नियत नामघर, जिनकी स्थापना शंकर देव तथा विभिन्न दरगाहों के सूफी व फकीरों ने की थी, के दरवाजे, हिन्दू व मुसलमनों दोनों के लिए खुले हैं। इसी प्रकार इन दोनों समुदायों के लोग सामूहिक तौर पर सरस्वती पूजा, दूर्गा पूजा, ईद, मोहर्रम तथा बीहू इत्यादि त्योहार, धार्मिक सीमाओं से उपर उठकर मनाते हैं। इस बात से यह साबित होता है कि मनुष्य ईश्वर की रचना है, जबकि धर्म मानव की देन है तथा मानवता सर्वोच्च धर्म है।

जिस प्रकार मध्य कालीन भारत में संत और फकीरों ने हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाया उसी प्रकार आधुनिक समय में भी हमारे कुछ संत और विद्वान समारी बहुलतावादी संस्कृति को समृद्ध करने में लगे हैं। हम आज दो सांस्कृतिक पुरोधाओं की चर्चा करने वाले हैं। एक हैं संस्कृत के विद्वान तथा चार वेदों के ज्ञाता हयातुल्ला तथा दूसरे हैं शहनाई वादक विस्मिल्लाह खान साहब। इन दोनों में मजहबी सहिष्णुता जबदस्त दिखती है। विस्मिल्ला साहब तो नहीं रहे लेकिन हयातुल्ला चतुर्वेदी साहब जिंदा हैं।

उत्तर प्रदेश के जिला कोशंबी, स्थित गांव चिट्टा हरायपुर के निवासी हयातुल्ला, एमआर शेरवानी इंटर कॉलेज इलाहाबाद से सेवा निवृत हुए हैं। वे पांच वक्त के नमाजी हैं। हयातुल्ला साहब ने ना सिर्फ संस्कृत में महारथ हासिल की है बल्कि वे वेदों के भी ज्ञाता हैं। इसके कारण उन्हें चतुर्वेदी की उपाधि मिली है। उन्होंने संस्कृत भाषा में अनेकों पुस्तकें लिखी है तथा इसे सीखने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त में टयूशन भी पढ़ाते हैं। उनका यह मानना है कि भाषा लोगों को आपस में बांधने का एक ऐसा माध्यम है, जिसे किसी धार्मिक परिधि में बांधा नहीं जा सकता है। वे वेदों और पवित्र कुरान को समान रूप से सम्मान देते हैं।

उसी प्राकार काशी, भोलेनाथ तथा गंगा को सर्मित, संगीत सम्राट उस्ताद विस्मिल्लाह खान साहब थे। उनका जन्म बिहार के दुमारों राजमहल से जुड़े संगीतकारों के परिवार में 21 मार्च 1916 को हुआ था। उन्होंने आगे चलकर शहनाई जैसे वाद्ययंत्र को दुनियाभर में ख्याति दिलाने में अभूतपूर्व कार्य किया। जन्म के समय उनका नाम कमरूद्दीन रखा गया था लेकिन उनके दादा जी ने उनका नाम विस्मिल्लाह रख दिया। कुछ समय बाद वे अपने चाचा विलायंतू खान के साथ काशी चले गए, जहां वे विश्वनाथ मंदिर में शहनाई वादक के तौर पर जुड़ गए।

उस्ताद ने अपने जीवन काल के दौरान, संगीत सभाओं में भाग लिया। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने पर लालकिले पर तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र राष्ट्र बनने के महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने अनेकों फिल्मों में संगीत भी दिया तथा भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के अलावा अनेकों बड़े–बड़े पुरस्कार जीते। 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो गया लेकिन वे गंगा और काशी विश्वनाथ के साथ जबरदस्त तरीके से जुड़े थे।

बिस्मिल्लाह खान मुसलमान थे लेकिन उनके गुरू प्रख्यात हिन्दू संत प्रेम रावत थे। ऐसा उदाहरण मैं समझता हूं दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने पांच पुत्रों के पिता होने के बावजूद एक हिन्दू बंगाली लड़की, सोमा घोष को गोद लिया। व बहुत ही साधारण आदमी की तरह जीवन बिताया। करुणामयी और फकीरी सोच के इंसान बिस्मिल्लाह खान साहब भारतीय साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में याद किए जाते रहेंगे। वे समिश्रित संस्कृति के प्रति वचनबद्ध थे। वे हृदय व आत्मा से अपने पवित्रतम धाम काशी से जुड़े हुए थे और विश्वनाथ मंदिर से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे तथा मां गंगा से उन्हें प्रेरणा मिलती थी। एक बार उन्होंने एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ द्वारा, सभी सरकारी सुख–सुविधाओं के साथ अमेरिका में आ बसने की पेशकश यह कहकर ठुकरा दी कि क्या वहां गंगा व भगवान शिव मिल सकते हैं? उस्ताद जैसे महान संगीतकार को भारतीय इतिहास में धार्मिक सीमाओं को लांघते हुए उनकी मनुष्यों के प्रति आंतरिक समर्पण की भावना के लिए सदा ही याद किया जाएगा। आधुनिक भारत में ऐसे कई विभूति हैं जिन्हें जानने और समझने की जरूरत है। यह हमारी ताकत है और हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक भी है।

इसलिए हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों पर हमारे संत फकीरों का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ेगा तभी हम दुनिया के सामने प्रभावशाली तरीके से खड़े रह सकते हैं।

ऑन–लाईन परियोजनाओं के लिए 'हिम प्रगति' पोर्टल बना प्रभावी प्लेटफार्मः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य में विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं के समयबद्ध तथा गुणात्मक निर्माण के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रभावी और नियमित निगरानी अत्यावश्यक है। मुख्यमंत्री जय

राम ठाकुर ने यह बात विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृतियों और अनुमोदन के लिए 'हिम प्रगति' पोर्टल की प्रगति की समीक्षा करते हुए कही। हिम प्रगति एक ऑनलाइन अनुश्रवण प्रणाली है जिसे राज्य सरकार ने पिछले वर्ष अक्तूबर माह के दौरान शुरू किया था।

नई प्रणाली के अन्तर्गत सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है और संबंधित अधिकारियों से विभिन्न स्वीकृतियां तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रहीं कठिनाईयों के बारे में निवेशकों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है जहां मुख्यमंत्री संबंधित विभागों को समयबद्ध अनुमोदन तथा स्वीकृतियां देने के लिए निर्देश जारी करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों की सुविधा तथा उनसे सीधा संवाद सुनिश्चित करने के लिए ये सभी पहल की गई हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उद्यमियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान और निगरानी नियमित तौर पर की जाएगी तथा पूरी प्रणाली ऑनलाइन है। उन्होंने कहा कि प्रयास किए जाएंगे कि उद्यमियों द्वारा उठाया गया एक भी मुद्दा न छुटे। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा की गई इस प्रकार की परोक्ष निगरानी प्रदेश में सभी क्षेत्रों में बड़े निवेश को आमंत्रित करेगी। यह प्रणाली निवेशकों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी पटल के रूप में उभरेगी, जिससे उनकी समस्याओं का सर्वोच्च स्तर पर समयबद्ध समाधान होगा।

यह पोर्टल राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं जैसे उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रभावी ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि निवेशक और सम्भावित उद्यमी अब इस पोर्टल पर लॉग–इन करके आसानी से अपनी परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

हिम प्रगति पोर्टल पर 8690 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की 52 परियोजनाएं अपलोड़ की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 25 करोड़ या इससे अधिक का अनुमानित निवेश हिम प्रगति पोर्टल पर जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच पर्यटन परियोजनाएं जिसमें 289 करोड़ की हिमानी–चामुण्डा रोप–वे परियोजना, 35 करोड़ रुपये की स्नो वैली रिजॉर्ट और मेनेजमेंट इंस्टिच्यूट शिमला, 150 करोड़ रुपये की धर्मशाला रोप–वे परियोजना, 200 करोड़ रुपये की बिजली महादेव रोप–वे परियोजना और 340 करोड़ रुपये की पलचान रोहतांग रोप–वे परियोजनाओं की हिम प्रगति पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को क्रियान्वयन एजेंसियों को हर सम्भव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जिससे इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध निर्माण पूरा हो सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इसके अतिरिक्त 4316.10 करोड़ रुपये के निवेश की 12 ऊर्जा परियोजनाओं की हिम प्रगति पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को एफआरए तथा अन्य अनापत्तियां प्रदान करने में शीघ्रता लाने के निर्देश दिए जिससे इन परियोजनाओं को जल्द अपने हाथों में लिया जा सके।

उन्होंने कहा कि 2708.62 करोड़ रुपये के निवेश की 23 औद्योगिक परियोजनाएं क्रियान्वयन एजेंसियों की समस्याओं के शीघ्र निवारण एवं सुविधा के लिए हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड़ की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं हिम प्रगति पोर्टल की त्रैमासिक निगरानी कर रहे हैं ताकि परियोजनाओं के निर्माण की गति को तेज किया जा सके। सरकार 25 करोड़ रुपये से कम की परियोजनाओं के समावेश पर भी विचार करेगी ताकि प्रभावी अनुश्रवण के लिए अधिक से अधिक विकासात्मक परियोजनाओं को शामिल किया जा सके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में नाबार्ड का योगदान महत्वपूर्ण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा आयोजित राज्य ऋण सेमीनार 2019–20 की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बैंकों को चिन्हित क्षमता आधारित योजनाओं को वित्तपोषित कर निवेश ऋण में सुधार करने के लिए और अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जिससे किसानों की आय में बढ़ौतरी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए हरित खाद, फसलों का चक्रिकरण और मिश्रित फसल के माध्यम से स्थायी कृषि प्रथाओं के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने

कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए वर्ष 2019–20 के लिए कुल बैंक ऋण 23,631 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की योजना के 22,389 करोड़ रुपये की तुलना में 5.6 प्रतिशत अधिक है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के कल्याण के बिना विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ग्रीन हाउस निर्माण के लिए अनुदान राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया है जबकि एंटी हेल गन के लिए 60 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नाबार्ड द्वारा चिह्नित अवसंरचना अंतराल पर उचित कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि 2019–20 के बजट में आरआईडीएफ के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों, पुलों, लघु सिंचाई योजनाओं, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, जलागम, दुग्ध विकास इत्यादि की 6798 करोड़ रुपये की 5566 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और राज्य को 4696 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि 544.21 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। आरआईडीएफ के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 371.48 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

जलागम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सोलन, ऊना और सिरमौर जिलों में नाबार्ड की जलागम विकास निधि के अन्तर्गत आठ जलागम विकास परियोजनाएं वित्तपोषित की गई हैं। उन्होंने कहा कि मंडी और सिरमौर जिलों में नाबार्ड द्वारा स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके लिए 3.11 करोड़ रुपये सहायता उपदान प्रदान कर 1500 व 1455 महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन ऋण संयोजन का लक्ष्य रखा गया है।

हिमाचल बना सभी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्यः विपिन सिंह परमार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अब सभंव होगी। प्रदेश में आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना सितम्बर 2018 से सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्व को समझते हुए प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना का शुभारम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत अब तक 2.71 लाख परिवार योजना में शामिल किए गए हैं।

यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि हिमकेयर योजना में पंजीकरण हेतु बहुत ही सरल प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अब कोई भी लाभार्थी www.hpbys.in वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाईल नम्बर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करवाकर नामांकन कर सकता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत अब तक हिमकेयर में 4144 लाभार्थी परिवार और जुड़ चुके है। इस प्रक्रिया को और सरल करने हेतु स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि यह सुविधा लोक मित्र केन्द्र/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी उपलब्ध रहेगी। अब कोई भी लाभार्थी अपने नजदीकी लोक मित्र केन्द्र में जाकर निर्धारित प्रीमियम के अतिरिक्त मात्र 50 रुपये का शुल्क अदा कर, दस्तावेज अपलोड से लेकर ई–कार्ड डाउनलोड तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएगा। नामांकन/नवीनीकरण की प्रक्रिया केवल मार्च माह तक ही जारी रहेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना के अन्तर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रीमियम की दरें तय की गई है। गरीबी रेखा से नीचे और पंजीकृत रेहड़ी–फड़ी वाले (जो कि आयुष्मान भारत में पंजीकृत नहीं है) से प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड–डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), अंशकालिक कार्यकर्ता (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी) एवं अनुबंध कर्मचारी (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी) से केवल 365 रुपये और उपरोक्त के अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत कर्मचारी नहीं है, केवल 1000 रुपये देकर योजना के अन्तर्गत कार्ड बनवा सकते हैं।

लाभार्थी परिवार के लिए पॉलिसी अवधि नामांकन/नवीनीकरण के अनुमोदन की तिथि से बारह माह तक रहेगी। नवीनीकरण के लिए लाभार्थियों को मोबाईल संदेश के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक के माध्यम से लाभार्थी निर्धारित प्रीमियम की राशि का भुगतान ऑनलाईन करके नवीनीकरण करवा सकता है।

विपिन सिंह परमार ने बताया कि योजना के तहत सभी तरह की आम व गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 1800 उपचार प्रक्रियाएं हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 193 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनमें लाभार्थी निःशुल्क ईलाज प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपील की गई है कि सभी पात्र परिवार इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवाएं और इस अद्भुत योजना का फायदा उठाएं।

स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में सभी अस्पतालों व चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ को आम लोगों को योजना के तहत सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य में कृषि आयोग गठित करने पर विचारः डॉ. मारकण्डा

शिमला/शैल। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में कृषि आयोग गठित करने पर विचार कर रही है। कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा हिमाचल किसान यूनियन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने को प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेकों कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंडी में मक्की पर आधारित उद्योग, जबकि सोलन में टमाटर आधारित उद्योग और कांगड़ा में चिप्स पर आधारित उद्योग लगाने पर विचार किया जा रहा है। उद्योग लगने के बाद राज्य के हजारों किसानों को लाभ पहुंचेगा।

किसान यूनियन ने बैठक में बेसहारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान का मुद्दा भी उठाया। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। किसानों को सोलर फैंसिंग लगाने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, ताकि उनकी फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से छुटकारा मिल सके। राज्य सरकार इसके साथ–साथ प्रदेश के सभी जिलों में गौ अभ्यारण्य (काऊ सेंक्चुरी) बनाने जा रही है, जिसमें बेसहारा पशुओं को रखा जायेगा। पहली काऊ सेंक्चुरी सिरमौर के कोटला में बनाई जा रही है। गौ अभ्यारण बनने के बाद लोगों को सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं की परेशानी से छुटकारा मि.लेगा और किसानों की फसल नष्ट होने से बचाई जा सकेगी।

बैठक में यूनियन ने 29 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। किसानों की मांगों को राम लाल मारकण्डा ने गंभीरतापूर्वक सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177–2805015, 94180–15015 फैक्सः 2805015

जयराम के मन्त्री महेंद्र सिंह ने नाबार्ड योजनाओं पर उठाये गंभीर सवाल

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंत्री बागवानी व सिंचाई मंत्री महेंद्र सिह ठाकुर ने बैंक की ओर से की जाने वाली फंडिंग को लेकर बैंक को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि 2012 के बाद नाबार्ड की योजनाओं में फंडिंग गैप बहुत बढ़ा है।

नाबार्ड की ओर से राजधानी में शुक्रवार को आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमीनार के मौके पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि नाबार्ड की अधिकांश योजनाओं में आधा काम हो गया बचे काम के लिए फंड का इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दरिया से पानी उठा लिया गया है, ऊपर टैंक भी बन गया है लेकिन जिन खेतों तक पानी पहुंचना है वहां के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जिनके लाभ के लिए योजना थी, उन्हें कोई लाभ भी नहीं मिला व देश का पैसा भी खर्च हो गया। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी योजनाओं के लिए नाबार्ड क्या करता है। इसी तरह सड़कों का भी हाल है। नाबार्ड अधिकारियों के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इस फंडिंग गैप को पूरा करने के लिए एकमुश्त फंडिंग का आग्रह किया व कहा कि इससे नाबार्ड की भी व सरकार की भी छवि जनता में सही नहीं बन रही है।

उन्होंने जंगली जानवरों से निपटने के लिए नाबार्ड की सोलर फेंसिंग योजना जिसे पिछली सरकार ने लागू किया था को भी कटघरे में खड़ा किया व कहा कि आवारा सांड एक ही धक्के में लगाई इस फेंसिंग को उखाड़ देते हैं। इस बावत उन्होंने सुझाव भी दिए। उन्होंने नाबार्ड से गौसदनों के निर्माण में मदद करने का आग्रह किया व कहा कि प्रदेश में 40 हजार गाय व इनको नाबार्ड को मुफ्त देने को तैयार हैं। बैंक डेयरी का काम चलाएं। बैल सड़कों पर घूम रहे हैं। जंगली जानवरों व अवारा पशुओं की वजह से हजारों बीघा जमीन बंजर पड़ गई हैं।

इस दिशा में बैंक सरकार की मदद करे। डेयरी की दिशा में काम करें। सरकार के लिए यह क्षेत्र चिंता का विषय है। उन्होंने एंटी हेल गन और एंटी हेल नेट खरीद मामले में बैंक का सहयोग मांगा।

इसके अलावा उन्होंने बैंक से सरकार को रियायतें देने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार नाबार्ड की सबसे बड़ी कर्जदार है और सौ फीसद कर्ज पर ब्याज भी देती है। ऐसे में नाबार्ड को कर्ज देते हुए सरकार को कुछ तो रियायत देनी चाहिए। आखिर सरकार के दम पर बैंक का बड़ा कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा कि दो – अढ़ाई सौ करोड़ से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने जयराम सरकार का एक बड़ा राज भी खोला व कहा कि वह बड़े कर्ज की मांग को लेकर केंद्र सरकार के पास गए व कहा कि नाबार्ड के दो अढ़ाई सौ करोड़ के कर्ज से उनका कुछ होने वाला नहीं है। केंद्र ने एक रास्ता बताया व कहा कि फारेन फंडिंग का उन्होंने कहा कि वह प्रदेश लौटे व मुख्यमंत्री से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उन्हें आगे बढ़ने की छूट दी।

आइपीएच विभाग ने 4751 करोड़ 24 लाख का रेन हार्वेस्टिंग की परियोजना बनाई व इसे मंजूर कराने में कामयाब हो गए। कुछ हौसला बढ़ा तो 1688 करोड़ की एक और परियोजना मंजूर कराने में कामयाब हो गए। मशरूम के लिए 510 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर करा दिया। उन्होंने नाबार्ड अधिकारियों से कहा कि दस बीस करोड़ के प्रोजेक्टों से कुछ होने वाला नहीं है। अभी 4893 करोड़ की एक और योजना को मंजूरी मिलने वाली है। एडीबी ने कहा कि वह एडवांस में मिशन भेज रहा है।

महेंद्र सिंह ने कहा कि नाबार्ड की ओर से रियायतें नहीं मिल रही है इसलिए सरकार को एशियन डवलपमेंट बैंक व बाहर के बाकी बैंकों के पास जाना पड़ा। वहां से सरकार एक तो बड़े कर्ज लेने में कामयाब हुई और दूसरे मिले कर्ज में से प्रदेश सरकार को 20 फीसद ही लौटाना होता है बाकी केंद्र सरकार लौटाती है। इससे राज्य सरकार को तो फायदा हो ही जाता है।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने नाबार्ड से कहा कि वह विधायकों को विश्वास में ले। विधायक लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं। दिल्ली व शिमला में कार्यालयों में बैठ कर बनाई योजनाएं इसलिए जमीन पर विफल हो जाती हैं क्योंकि उन्हें धरातल की असलियत को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता। उन्होंने नाबार्ड से शहतूत उगाने वाले क्षेत्र में भी काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर बैंकों की ओर से दिए जाने वाजे कर्ज से विकास व बेरोजगारी दूर नहीं हुई तो ये तमाम कसरत बेकार है।

महेंद्र सिंह ने कहा कि वह सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से प्रदेश में सैनिक अकादमी खोलने का प्रस्ताव भेज रहे हैं। इस अकादमी में प्रदेश के उन युवाओं को कोचिंग देने का इरादा है जो एनडीए, सीडीएस व बाकी सेवाओं में जाना चाहते हैं। अभी युवाओं को चंडीगढ़ जाना पड़ता है। उन्होंने नाबार्ड से इस बावत गौर करने का आह्वान भी किया।

उन्होंने दोनों नौणी व पालमपुर विवि के वैज्ञानिकों से भी आग्रह किया कि वह खेतों में जाएं। उनकी पीएचडी व बाकी डिग्रियों का कोई फायदा नहीं हैं अगर उनका लाभ किसानों व बागवानों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने इस मौके पर एक साल में केंद्र से मंजूर कर लाई हजारों करोड़ों रुपयों की योजनाओं का भी खुलासा किया व भरोसा दिया कि वह खुद मौके पर खड़े होकर एक – एक काम करवाएंगे।

इससे पहले बागवानी व वानिकी विवि नौणी के कुलपति एससी शर्मा ने नाबार्ड से आग्रह किया कि दोनों विवि के वैज्ञानिकों को भी अपने साथ जोड़ें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले खेती को मान्यता देने की जरूरत है। हमने इटली से सेब के पौधे खरीदे । नौणी विवि को अगर 25 करोड़ का अनुदान मिल जाए तो वह प्रदेश में हर तरह के पौधों की जरूरत पूरी कर देगा। लेकिन यह अनुदान सरकार से तो मिला नहीं है। ऐसे में बैंक अगर आगे आए तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि खेती व बागवनी को बढ़ावा देने के लिए बीज उद्योग को प्रदेश में बुलाना होगा। उन्होंने बागवानी व संचाई मंत्री से प्रदेश में उगाई जाने वाली तमाम फसलों को समर्थन मूल्य देने की भी वकालत की।

इस मौके पर विशेष सचिव डीडी शर्मा ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी केवल खेती से ही नहीं होगी। इसके लिए खेती, पशुपालन व संबंधित क्षेत्रों में भी काम करना पड़ेगा। उन्होंने प्रदेश में कर्ज लेने की घटती दर पर चिंता व्यक्त की।

अन्दौरा-दौलतपुर रेललाईन आगाज़ पर जयराम की गैरमौजूदगी संयोग या राजनीति

शिमला/शैल। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने ऊना जिला के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से दौलतपुर चौक तक 16 किलोमीटर नव निर्मित रेल लाइन को देश व प्रदेश वासियों को समर्पित किया। उन्होंने अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से दौलतपुर चौक के लिए रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया व स्वयं रेलगाड़ी से सफर

करते हुए दौलतपुर चौक पहुंचे।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंब – अंदौरा – होशियारपुर रेल नेटवर्क के लिए फाइनल लोकेशन को भी जल्द मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में चार धाम रेल लाईन की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में देवी धाम यात्रा का भी सर्वेक्षण करवाया जाएगा ताकि रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा सके। उन्होने डेरा बाबा रूद्रानंद में रेल हॉल्ट की मांग को लेकर कहा कि इसे भी जल्द स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

इससे पहले उन्होंने अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से अंब अंदौरा स्टेशन पर विस्तारित प्लेटफॉर्म संख्या एक, ऊना हिमाचल स्टेशन पर नई द्वितीय श्रेणी विश्रामालय को भी राष्ट्र को समर्पण किया। इसी दौरान उन्होने अंब अंदौरा स्टेशन पर नया पैदल पार पथ, ऊना हिमाचल स्टेशन पर नया पैदल पार पथ एवं प्लेटफार्म व अम्ब अंदौरा – दौलतपुर चौक सेक्शन के विद्युतीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। साथ ही 14553 – 14554 दिल्ली – अंब अन्दौरा, दिल्ली हिमाचल एक्सप्रेस तथा 54581 – 54582 नंगल डैम, अंब अन्दौरा – नंगल डैम पैसेंजर रेलगाड़ी का दौलतपुर चौक तक के विस्तार का भी शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, लोक सभा सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विधायक बलवीर चौधरी व राजेश ठाकुर भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे।

इस मौके पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि इस रेल नेटवर्क को 1982 में मंजूरी प्रदान की थी व 16 बड़े पुलों का निर्माण करते हुए इस पर लगभग 335 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। 2022 तक इस रेल नेटवर्क को मुकेरियां – तलवाड़ा तक पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुकेरियां – तलवाड़ा रेल नेटवर्क के विस्तार पर पर लगभग दो सौ करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे व अगले दो माह के भीतर इसकी टैंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकत्तर हिस्से में जमीन अधिग्रहण पूर्ण कर लिया है जबकि पंजाब क्षेत्र में भी जल्द भूमि अधिग्रहण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दौलतपुर चौक को रेलवे सुविधा से जुड़ जाने के कारण जहां इस क्षेत्र के विकास के साथ – साथ सामाजिक आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

मनोज सिन्हा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे विकास पर 108 करोड़ रुपए व्यय किए गए तो वहीं वर्तमान मोदी सरकार ने लगभग 385 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

उन्होने रेलवे के विकास में 13 लाख रेलवे कर्मचारियों की भी बहुत बड़ी भूमिका की भी सराहना की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने रेल विकास की दृष्टि से प्रदेश को हमेशा ठगा है। उन्होंने डेरा बाबा रूद्रानंद में रेलवे का हॉल्ट स्टेशन को मंजूरी प्रदान करने की मांग रखी।

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1992 को शुरू हुए इस रेल नेटवर्क को पूरा होने में 26 साल का लंबा समय लग गया व कहा कि जल्द ही शेष बची 29 किलोमीटर तलवाड़ा – मुकेरियां को भी आगामी तीन वर्षों के दौरान रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के रेल नेटवर्क के साथ जुड़ने से चिंतपूर्णी सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दशनार्थ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी।

उन्होंने रेलमंत्री से अंब अंदौरा को होशियारपुर के साथ जोड़ने, अंब – अंदौरा रेललाईन को कांगड़ा तक बढ़ाने व ऊना – हमीरपुर रेलवेलाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य के बाद बजट का प्रावधान करने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि 20 किलोमीटर भानुपल्ली – बिलासपुर रेललाइन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से अंब अंदौरा – दौलतपुर चौक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा।

सस्ते राशन में घटिया चावल

.....पृष्ठ 1 का शेष

तक सबकी एक बराबर रहती है। ऐसे में जब एक जगह से ऐसे घटिया चावल सप्लाई होने का मामला सामने आ गया तब इसकी शिकायत आने के बाद पूरे प्रदेश में हर जगह इसकी जांच हो जानी चाहिये थी। इस तरह के गले सड़े चावल डिपो तक कैसे पंहुच गये? कहां से यह सप्लाई ली गयी थी और कैसे ऐसे चावल उपभोक्ता तक पहुंच गये? इसको लेकर किसी की जिम्मेदारी तय होकर उसके खिलाफ एक प्रभावी कारवाई हो जानी चाहिये थी जिससे की जनता में एक कड़ा संदेश जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नही हुआ है केवल उपभोक्ता से यह चावल वापिस लिये गये।

ऐसे में जो कारवाई की गयी है उससे यही झलकता है कि पूरे मामले को दबा दिया गया है। सस्ते राशन की दुकानों पर मिलने वाले राशन की गुणवत्ता पर अक्सर सवाल उठते हैं लेकिन इस पर कोई कारवाई नही हो पाती है। अब जब एक ठोस शिकायत मन्त्री तक भी पहुंच गयी तब भी आधी ही कारवाई होने से यह सवाल स्वत: ही उठ जाता है कि शायद जहां हजारों करोड़ो की सब्सिडी का मामला है तो वहां खेल भी कोई बड़े स्तर का ही हो रहा होगा? क्योंकि यह नही माना जा सकता कि केवल डिपो मालिक की गलती से ही गले सड़े चावल सप्लाई हो गये। क्योंकि यदि ऐसा होता तो डिपो मालिक के खिलाफ कड़ी कारवाई करके विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा होता लेकिन ऐसा नही हुआ है और इसी से यह मामला और सन्देह के घेरे में आ जाता है।